न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 10 / 2023	31.10.2023	19.02.2025

1–मधुरानी पत्नी राजकुमार निवासी ग्राम पोस्ट भौंकर तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्टान

बनाम

1–जिला रसद अधिकारी, खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)
2–अनिल कुमार पुत्र गोपीराम जाति अहीर निवासी ग्राम भौंकर तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्व निर्णय दिनाक 16.01.2023 जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा जिसके द्वारा बेजा तौर पर विधि विरूद्व तरीके से प्राधिकार पत्र संख्या 1632/2012 उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत भौंकर तहसील कोटकासिम आंवटन कर नियत्रित वस्तुओ के आंवटन उठाव एवं वितरण हेतु खाद्वान की आपूर्ति बहाल की गयी है। को निरस्त किये जाने

उपस्थितः–

01. श्री अनिल नरूका –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय प्रतिनिधि – रेस्पोडेन्ट संख्या 1
03. ———————— –रेस्पो0 संख्या 2 अनुपस्थित

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व निर्णय दिनाक 16.01.2023 जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा जिसके द्वारा बेजा तौर पर विधि विरूद्व तरीके से प्राधिकार पत्र संख्या 1632/2012 उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत भौंकर तहसील कोटकासिम आंवटन कर नियत्रित वस्तुओ के आंवटन उठाव एवं वितरण हेतु खाद्वान की आपूर्ति बहाल की गयी है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्व विभाग के पत्राक एफ.14(1)ख.वि./विधि/08 जयपुर दिनाक 17.03.2016 एंव एफ 17 (5) ख.वि./न्याय/महि.आर/2019 दिनाक 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानो के आंवटन के दिशा निर्देशो के तहत जिले में उचित मूल्य की रिक्त/नवसृजित दुकानो के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियो तथा संस्थाओ यथा सहकारी समितियो, महिला समूह आदि से राजस्थान खाद्वान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के तहत नवीन प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। मिन अपीलान्ट द्वारा विधिवत उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत भौंकर तहसील कोटकासिम के आंवटन हेतु आवेदन पत्र क्रमाक 229 दिनाक 27.09.2021 प्रस्तुत किया गया तथा जिसमें मिन अपीलान्ट द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया। उपरोक्त विज्ञप्ति के क्रम में पूर्व में वर्ष 2012 में भी उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन पत्र आमत्रित किये गये जिसमें मिन अपीलान्ट के साथ–साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा भी

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

आवेदन किया गया किन्तु उपरोक्त संदर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस. बी. सिविल रिट पिटिशन न0 4655/2012 प्रस्तुत की गयी, जो आदेश दिनाक 07.03.2014 के द्वारा खारिज कर दी गयी। जिसके उपरान्त विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जरियें पत्र क्रमांक रसद/2023/101 दिनाक 16.01.2023 से एक आदेश जारी कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का उक्त प्राधिकार पत्र संख्या 1632/2012 बहाल कर दिया जबकि उसके द्वारा वर्ष 2021 में आवेदन ही नही किया और न ही उसका कोई साक्षात्कार लिया तथा न ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का प्राधिकार पत्र बहाल किया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से साजबाज होकर बिना साक्षात्कार लिये उक्त प्राधिकार पत्र बहाल किया गया है। जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई हक व अधिकार किसी प्रकार का नही है। ऐसी स्थिति में मिन अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का आदेश दिनाक 16.01.2023 निरस्त करा कर प्राधिकार पत्र प्राप्त कराने का अधिकारी है, चूँकि इसके लिए मिन अपीलान्ट पूरी तरह सक्षम व चयनित है। तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनाक 16.01.2023 को पारित किया गया है, पारित आदेश मिन अपीलान्ट के पीछे से बालाबाला बिना कोई तलब किये एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुऐ पारित किया गया है। पारित निर्णय दिनाक 16.01.2023 की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनाक 19.05.2023 को हुई जब रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा उसका प्राधिकार पत्र बहाल करने की जानकारी दी गयी जिस पर मिन अपीलान्ट द्वारा समस्त दस्तावेजात की नकल प्राप्त की और रूपयो का इंतजाम किया। इस प्रकार अपील जानकारी की दिनाक 19.05.2023 से अन्दर मियाद प्रस्तुत है, तथा आदेश दिनाक 16.01.2023 से जानकारी की दिनाक 19.05.2023 तक का समय धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत माफ किये जाने योग्य है। इस हेतु अपील के साथ प्रथक से प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि मियाद शुमार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 16.01.2023 को निरस्त किया जावे।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि ग्राम पंचायत भौंकर तहसील कोटकासिम के स्थान की विज्ञप्ति वर्ष 2012 में जिला कलक्टर (रसद) अलवर द्वारा जारी की गयी थी, उक्त स्थान पर अनिल कुमार पुत्र गोपीराम जाति अहीर निवासी भौंकर का उचित मूल्य दुकान का चयन किया गया था। जिसके आधार पर प्राधिकार पत्र संख्या 1632/2012 जारी किया गया। जारी प्राधिकार पत्र के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन न0 4655/2012 में जारी आदेशो के क्रंम में जिला रसद अधिकारी अलवर के आदेश दिनाक 14.04.2012 के द्वारा उक्त राशन डीलर को आंवटित नियंत्रित वस्तुओ के उठाव एवं वितरण पर आगामी आदेशो तक रोक लगाई गयी थी, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर द्वारा उक्त रिट को दिनाक 07.03.2014 को खारिज कर दी गयी थी, जिसके पश्चात राशन डीलर अनिल कुमार द्वारा लगातार आपूर्ति बहाल किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर विधि विभाग से विधिक राय प्राप्त कर उक्त राशन डीलर की आपूर्ति बहाल की गयी। जिला कलक्टर (रसद) अलवर द्वारा दिनाक 07.09.2021 को जिले में रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानो की विज्ञप्ति जारी की गयी थी, जिसमें ग्राम पंचायत भौंकर तहसील कोटकासिम का स्थान भी सम्मिलित था। ग्राम पंचायत भौंकर तहसील कोटकासिम की नवसृजित दुकान हेतु कुल 3 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, कमशः मधुरीनी पत्नी राजकुमार, लोकेश पुत्र बनेसिंह, मुबारिक खान उक्त स्थान ग्राम पंचायत भौंकर तहसील कोटकासिम में नवीन राशन डीलर चयन किये जाने हेतु दिनाक 26.09.2023 को जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा में साक्षात्कार लिये गये जिसमें उक्त तीनो आवेदक उपस्थित हुए। आवंटन सलाहकार समिति की अभिशंषा (बहुमत/विभागीय दिशा–निर्देशो के परीक्षण उपरांत) जिला कलक्टर द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात उक्त स्थान पर लाकेश पुत्र बने सिंह का चयन कर प्राधिकार पत्र जारी कर दिया गया। राशन डीलर लोकेश कुमार ग्राम पंचायत भौंकर एफ. पी. एस कोड 31630 प्राधिकार

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

पत्र संख्या 19 दिनाक 09.10.2023 का उठाव एवं वितरण नियमित रूप से माह दिसम्बर 2024 से चालू है। ग्राम पंचायत भौंकर तहसील कोटकासिम में पूर्व चयनित रार्शन डीलर की आपूर्ति बहाल एवं नवीन डीलर का चयन विभागीय दिशा–निर्देशानुसार/नियमानुसार कार्यवाही की गयी है, अपीलान्ट द्वारा दायर की गयी अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनाक 16.01.2023 के विरूद्व पेश की गयी है, जो करीब 05 माह पश्चात पेश की गयी है। जो अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है, अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 16.01.2023 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 19.05.2023 को होना दर्शाया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजंस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन किया है, कि उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत भौंकर तहसील कोटकासिम के आंवटन हेतु आवेदन पत्र क्रंमाक 229 दिनाक 27.09.2021 प्रस्तुत किया गया तथा उपरोक्त विज्ञप्ति के क्रंम में पूर्व में वर्ष 2012 में भी उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन पत्र आमत्रित किये गये जिसमें मिन अपीलान्ट के साथ–साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा भी आवेदन किया गया, किन्तु उपरोक्त संदर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस. बी. सिविल रिट पिटिशन न0 4655/2012 प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनाक 07.03.2014 के द्वारा खारिज कर दी गयी। जिसके उपरान्त विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जरिर्ये पत्र क्रंमाक रसद/2023/101 दिनाक 16.01.2023 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का उक्त प्राधिकार पत्र संख्या 1632/2012 बहाल कर दिया, जबकि उसके द्वारा वर्ष 2021 में आवेदन ही नही किया विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में ग्राम पंचायत भौंकर तहसील कोटकासिम के स्थान की विज्ञप्ति वर्ष 2012 में जिला कलक्टर (रसद) अलवर द्वारा जारी की गयी थी, उक्त स्थान पर अनिल कुमार पुत्र गोपीराम जाति अहीर निवासी भौंकर का उचित मूल्य दुकान का चयन किया गया था। जिसके आधार पर प्राधिकार पत्र संख्या 1632/2012 जारी किया गया। जारी प्राधिकार पत्र के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन न0 4655/2012 में जारी आदेशो के क्रंम में जिला रसद अधिकारी अलवर के आदेश दिनाक 14.04.2012 के द्वारा उक्त रार्शन डीलर को आंवटित नियंत्रित वस्तुओ के उठाव एवं वितरण पर आगामी आदेशो तक रोक लगाई गयी थी, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर द्वारा उक्त रिट को दिनाक 07.03.2014 को खारिज कर दी गयी थी, जिसके पश्चात रार्शन डीलर अनिल कुमार द्वारा लगातार आपूर्ति बहाल किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर विधि विभाग से विधिक राय प्राप्त कर उक्त रार्शन डीलर की आपूर्ति बहाल की गयी। जिला कलक्टर (रसद) अलवर द्वारा दिनाक 07.09.2021 को जिले में रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानो की विज्ञप्ति जारी की गयी थी, जिसमें ग्राम पंचायत भौंकर तहसील कोटकासिम का स्थान भी सम्मिलित था। ग्राम पंचायत भौंकर तहसील कोटकासिम की नवसृजित दुकान हेतु कुल 3 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, कमशः मधुरीनी पत्नी राजकुमार, लोकेश पुत्र बनेसिंह, मुबारिक खान ग्राम पंचायत भौंकर तहसील कोटकासिम में नवीन रार्शन डीलर चयन किये जाने हेतु दिनाक 26.09.2023 को जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा में साक्षात्कार लिये गये जिसमें उक्त तीनो आवेदक उपस्थित हुए। आवंटन सलाहकार समिति की अभिशंषा (बहुमत/विभागीय दिशा–निर्देशो के परीक्षण उपरांत) जिला कलक्टर द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात उक्त स्थान पर लाकेश पुत्र बने सिंह का चयन कर प्राधिकार पत्र जारी कर दिया गया। रार्शन डीलर लोकेश कुमार ग्राम पंचायत भौंकर एफ.पी.एस कोड 31630 प्राधिकार पत्र संख्या 19 दिनाक 09.10.2023 का उठाव एवं वितरण नियमित रूप से माह दिसम्बर 2024 से चालू है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है, अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 16.01.2023 यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल–शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)